

2/2/2026

क्रमांक / वरुण - CS-15/19

वादी / सविवादी- अधीन उपा०

① सविवादी- ने जा.पत वाक्यू Review आदेश दिनांक 4.1.2024 मध्युव कर मुख्य रूप से अथन क्रम क्रि- व्यामालम द्वारा कबरेवा दिनांक 4.1.2024 के अन्तर्गत वाणिज्यिक व्यामालम को 1 करोड़ के अधिक आगले वी- सुनवाई क्रिमे पान के अधिकारिक होने के अनुसार परिव क्रम गम है। उक्त के संबंध में संशोधन पत्रवाक्यू तथा साक्ष्यपत्र हरकाल-द्वारा विरिष सचिव पर शक्तिमों के अन्तर्गत Notification No- F.1. (2) Nyay / 2016 दिनांक 08.08.2018 जारी कर वाणिज्यिक व्यामालम वी- सचिव तथा क्षेत्राधिकार निर्धारित कर 5 Lakh रुपये से अधिक के आगले वाणिज्यिक व्यामालम द्वारा सुनवाई भोग्य लोग निर्धारित है।

② उक्त के अनुसार व्यामालम द्वारा दिनांक 4.1.2024 को ये आदेश विरिषक व्यामालम के अधिकार क्षेत्राधिकार वाक्यू वाणिज्यिक क्रम है वर उक्त संशोधन अनुसार Review क्रम पान आवश्यक है।

अतः निर्देश है कि Review अधिकारिणी आदेश वी- पान उक्त Notification के अनुसार पर कबरेवा दिनांक 04/01/2024 को संशोधन कर कबरेवा सपान करे।

③ वादी- द्वारा उक्त जा.पत को पवाक रेकार मुख्य रूप से अथन क्रम

2/2/2026

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

क्रमांक / १२/०७ - ८९ - १५/१९ ८९ - १९/१९

2/2/2026

⑧ " Commercial Disputes " means - a dispute arising out of - (i) Ordinary transactions of merchants, bankers, financiers & traders such as those relating to mercantile documents including enforcement and interpretation of such documents.  
(ii) export or import of merchandise or services.  
(iii) issues relating to admiralty & marine law.  
(iv) transaction relating to air craft, engines, aircraft equipments including sales, leasing & financing of the same.  
(v) Carriage of goods.  
(vi) construction & infrastructure contracts including tender.

Explanation:- A Commercial dispute shall not cease to be a Commercial dispute merely because -  
(a) It also involves action for recovery of money of immovable property or for relaxation of monies out of immovable property given as a security or involves any other relief pertaining to immovable property.  
(b) One of the contracting parties is the state or any of its agencies or instrumentalities, or a private body carrying out public functions;

⑨ Section-15- Transfer of pending suit -  
(2) All suits & applications including application made under the Arbitration & Conciliation Act, 1996 relating to Commercial dispute of a specified value pending in any civil court in any District or area in respect of which a Commercial court has been constituted, shall be transferred to such Commercial Court.

⑩ पञ्जाब के नवम Commercial dispute के पत्र हाई नॉ- टो आरेंड डिनोस ५/१/२०२५ के आलोचना है on account of some mistake or error apparent on the face of record हाई नॉ- टो इसके अतिरिक्त Commercial Courts, Commercial Division & Commercial appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018- cit- 20/8/2018 - 5-4- In section 2 of the Principal Act, in Sub-Section (I). (I) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof, and before clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely - (a)..... (II) in clause (i) for the words "which shall not be less than one crore rupees", the

2/2/2026

अपर जिला न्यायाधीश  
क्र.सं.१, केकड़ी (राज.)



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/2/2026	<p style="text-align: center;"><u>विकास / वरुण - CS-15/19 CS-19/19</u></p> <p>words " which shall not be less than three lakh rupees " shall be substituted.</p> <p>① Commercial Court of अधिवक्ताओं पर एक करोड़ रुपये से अधिक का है। उदाहरण वरुण में शर्तें 5 लाख से संबंधित हैं वरुण Commercial dispute नहीं होने में आमतौर पर परिणत शिर्षक दिनांक 4-1-2024 को Review क्रम पान आयोगिक नहीं है।</p> <p style="text-align: center;"><u>शर्तें</u></p> <p>अतः प्रविवादी- वरुण प्रत्युत प्र.पत वरुण Review अधिक आयोगिक होने में शिर्षक का दायरे क्रम पान है वरुण प्रत्यागत क्रम. क्रम वरुण करेंगे।</p> <p style="text-align: center;">मे 2/2/2026 अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.1, केकड़ी (राज.)</p> <p>पतादी- के आयोगिक, केकड़ी (राज.) है कि प्र.पत अन्तर्गत 0-37 R-3 (5) व 6 लिखित है वरुण शिर्षक में प्र.पत अन्तर्गत 0-37 R-3(5) व (6) दिनांक 2/2/2021 को Not-press क्रम। प्र.पत Not-press के आयोगिक वरुण क्रम पान है। उदाहरण वरुण में 5 लाख रुपये से संबंधित है। वरुण वरुण प्र.पत 0-37 R-3(5) व (6) को Not-press क्रम है। प्रविवादीग को 0-37 R-7 के तहत प्रविवादीग का आयोगिक क्रम पान है।</p> <p>पतादी- वरुण पर लेने written statement दृष्ट दिनांक 10/2/2026 को पर ले।</p> <p style="text-align: center;">मे 2/2/2026 अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.1, केकड़ी (राज.)</p>	<p>Sir, Not Press Application Dated 12/02/21 Sh</p>